

1.0. प्रस्तावना

परियोजना की पृष्ठभूमि

भारत जलमैत्रिक कंपनी लिमिटेड (बाबको) वेस्टीटा रिजोर्सेस पीएलसी, जोकि वार्षिक 4 बिलियन (18000 करोड़ रुपए) के व्यवसाय के साथ गैर-पेयस शक्तियों में विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कंपनी है, का एक सहायोगी है। भारत जलमैत्रिक कंपनी लिमिटेड (बाबको) की स्थापना कर्नाट, कर्नाटक राज्य में एक भारत सरकार के उपक्रम के रूप में 1955 में की गई थी। बाल्को सबसे पहला बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है, जो आर्थिक सुधारों में लगे हुआ था और 2001 में स्टेटलिस्टेट समूह में इसका विनिवेश हुआ। वेस्टीटा राष्ट्र की विरोध कर कर्नाटक राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विजली निर्माण के लिए कोरबा के समीप एक पॉपुलैट पावर प्लांट(आईपीपी) का विकास करना चाहती है।

कॉम्पान में 1090 मे.घा. की कुल क्षमता के कोबला आधारित पावर प्लांट वेस्टीटा समूह के स्वामित्व व प्रचालन में है किन्तु से कैपिटल प्रयोजनों के लिए हमारा: बाल्को के पास 810 मे.घा. की संस्थापित क्षमता, बाल्को -75 मे.घा., लॉकनाट्ट के टुरिस्मरन में 50 मे.घा., और 155 मे.घा. के साथ हिन्दुस्तान लिंक की संस्थापित क्षमता है। परिचोजना निम्नलिखित की अतिशय क्षमता के साथ इस समूह ने पावर के क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया है क्योंकि इसका विश्वास है कि पावर क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता से आर्थिक वृद्धि की अधिक संभावना है।

सम्बन्धित निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना अधिलिखित है :-

- इन्फन एवं पानी का कम निर्दिष्ट खपत
- कम आर्थिक अनुरक्षण
- सुविधा गुणवत्ता एवं प्रचालनों की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपकरणों की तथा ऑटोमेटिक नियंत्रण की व्यवस्था
- प्रक्षालन को न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय
- खिमारकी के मार्गदर्शक सुर्तों के अनुरूप अपेक्षाओं की पूर्ति करना, एवं
- क्षेत्र के सुरक्षा प्रचालनों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं

2.0 पर्यावरणीय व्यवस्था

2.2.1. स्थल एवं स्थल का विवरण

क्षेत्र के क्षेत्र में भू-भाग समतल है। आस-पास के क्षेत्र में बड़ी कालियाँ हैं, इसके अलावा क्षेत्र में कई जल-प्रवाह नदियाँ हैं। क्षेत्र क्षेत्र वेस्टीटा पूरा के अधिनियम में है और इसके लिए जल-विस्थापन की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र की पर्यावरणीय व्यवस्था का विवरण तालिका-1 में दिया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र की 10 कि.मी. विस्थापन में अन्वयन क्षेत्र का विवरण तालिका-1 में दिया गया है।

**तालिका-1
क्षेत्र की पर्यावरणीय व्यवस्था**

क्र.सं.	विवरण	विवरण
1.	लैटिट्यूड	22° 22' उत्तर
2.	लॉन्गिट्यूड	84° 42' पूर्व
3.	समुद्र सतह से ऊंचाई	300 मी
4.	समीपवर्ती आर्द्रपनकी रीखा के अनुसृत अधिकतम तापमान	43.1° सी
5.	समीपवर्ती आर्द्रपनकी रीखा के अनुसृत न्यूनतम तापमान	13.9° सी
6.	वर्षा	1388.2 मि.मि.
7.	क्षेत्र में वर्तमान भूमि उपयोग	वाण्योत्पन्न

9.	निकटतम निष्काशनीय स्थान	लाखाट(0.5 कि.मी.)
10.	निकटतम रेलवे स्टेशन	खोरवा(एसएसएमएचएचएच - 6.0 कि.मी.)
11.	निकटतम बहाई अट्यूच	रायपुर 220 कि.मी.
12.	निकटतम नहर	कोरक(10 कि.मी. एसएसएमएचएचएचएच)
13.	पर्वत/खडिच	शून्य
14.	टोपोग्राफी	समतल
15.	मूलभूत पूर्ण प्रस्ताव समय	15 कि.मी. के अंदर कोई नहीं
16.	राष्ट्रीय उद्यान/युग वन	15 कि.मी. के अंदर कोई नहीं
17.	अवशित/संरक्षित वन	कंठेखर(एफसीआई) के समीप संरक्षित वन(5.0 कि.मी. अन्वय) वाटर के समीप संरक्षित वन(5.1 कि.मी. एसएसएम) रामगछारा के समीप संरक्षित वन(7.5 कि.मी. एसएसएम) मन्सुखरा के समीप संरक्षित वन(7.2 कि.मी. एसएम) नखतीखर के समीप संरक्षित वन(8.1 कि.मी. एसएसएम) संयोग क्षेत्र के समीप संरक्षित वन(6.5 कि.मी. एनई) सू-कम्य क्षेत्र-II आर्देस 1893(भाग) : 2002 के अन्वय
18.	सू-कम्य	इसमें नहीं
19.	पानी का स्रोत	इसमें नहीं(2.4-कि.मी. एसएसएम)
20.	खोश/नदियाँ	कमगारी नहरा (3.5-कि.मी. एन)
21.	पत्ता संरक्षण	5 कि.मी. की दिग्वा में र कोई नहीं

चित्र-1

परिचोपक स्थल का अध्ययन क्षेत्र का नक्शा- 10 कि.मी. दिग्वा में

चित्र-2.1

600 X 2 से.म. आई.सी.पी. के लिए प्लॉट से-आउट

2.2 प्राथमिक अध्ययन

पूर्व-जागृता एवं इसे शामिल करते हुए 1 मई से 31 मई तक विभिन्न पर्यावरणीय दृष्टिकोणों से आधारभूत पर्यावरणीय अध्ययन किया जाएगा ; आधारभूत पर्यावरणीय अध्ययन का विवरण निम्न है :

2.2.1 मिट्टी के परीक्षण

2.2.1.1 मिट्टी के परीक्षण

अध्ययन क्षेत्र में स्थलों का मुख्य व्यवसाय दुग्ध है । अतः अध्ययन क्षेत्र में मिट्टी के परीक्षणों के लक्ष्य के लिये एक एवं बुझावनीय अम्लता प्रमापित होती है, के प्रभावों को पहचानने की आवश्यकता है । उपर्युक्त, पत्ता पर्यावरण की मूल स्थिति के मूल्यांकन हेतु मिट्टी की गुणवत्ता के प्राथमिक अध्ययन किए गए हैं ।

2.2.1.2 छटा सेवारत करना

अवशित परिचोपक क्षेत्र की 10 कि.मी. की दिग्वा में मिट्टी में खोर-खोर जमा कर मिट्टी के नमूने के लिए कंठेखर में स्थलों का चयन किया गया । मिट्टी की गुणवत्ता पर किए गए वर्तमान अध्ययन से प्राथमिक परीक्षणों का पता चलता है साथ ही सबसे अत्याधिक परिचोपक के खरवा करारित करना यदि कोई हो , तो उन्हें पहचान करता है । नमूने स्थलों का विवरण तालिका-4 में दिया गया है :

2.3.1 प्राथमिक डाटा के आधार पर पाए गए तथ्य

उर्वरता परिणामों के आकलन के आधार पर पाए गए तथ्य निम्नवत हैं :-

डीएसपीएम : मुख्य क्षेत्र(एएफ्यू1) केन्द्र में डीएसपीएम का मूल्य 231.3 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर पाया गया । औद्योगिक क्षेत्र के लिए 24 घंटे की निर्धारित सीमा 500 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर है । उसके बाद 206.9 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर का अधिकतम एएपीएम मूल्य मणिकपुर(एएफ्यू6) में पाया गया । यह मूल्य आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित सीमा 200 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर से कुछ-सा अधिक है ।

आरपीएम :सर्वेय क्षेत्र(एएफ्यू1) केन्द्र में आरपीएम का अधिकतम मूल्य 66.8 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर पाया गया । औद्योगिक क्षेत्र के लिए 24 घंटे की निर्धारित सीमा में 120 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर है । उसके बाद 52.1 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर का अधिकतम आरपीएम मूल्य मणिकपुर(एएफ्यू6) में पाया गया । यह मूल्य आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित सीमा 100 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर से कम है ।

एसबी : सर्वेय क्षेत्र(एएफ्यू1) केन्द्र और मणिकपुर (एएफ्यू6) में एसबी का अधिकतम मूल्य 21.6 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर पाया गया । औद्योगिक क्षेत्र के लिए 24 घंटे की निर्धारित सीमा 120 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर है । उसके बाद 19.8 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर का अधिकतम एसबीएम मूल्य समग्र(एएफ्यू2) में पाया गया ।

एसबी : सर्वेय क्षेत्र(एएफ्यू1) केन्द्र में एसबी का अधिकतम मूल्य 24.6 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर पाया गया । औद्योगिक क्षेत्र के लिए 24 घंटे की निर्धारित सीमा 120 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर है । उसके बाद 19.8 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर का अधिकतम एसबी, मूल्य समग्र(एएफ्यू2) में पाया गया ।

2.4 पानी की गुणवत्ता

आव्ययन क्षेत्र की 10 कि.मी. की त्रिज्या में जल पर्यावरण के आकलन एवं प्रस्तावित पावर प्लांट से प्रत्यक्षित प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए स्थल चिह्न गांधी नगर, पानी एवं सारंग पानी की गुणवत्ता मापदंडों का आकलन किया गया है । पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को तैयार करने एवं नायूक मुद्दों को पहचानने हेतु उनके लिए समुचित निवारणप्रभाव सुझावित करने के लिए पानी की गुणवत्ता को समझना बहुत आवश्यक है ।

आव्ययन का मुख्य तौरप है :

- नायूक मापदंडों के लिए पानी की गुणवत्ता लगानों का आकलन
- कुलक उत्पादना, निष्क्रीय स्थितियों, मलमलन स्थान एवं आवायन के क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य आदि पर प्रभावों का मूल्यांकन, एवं
- प्रस्तावित परियोजना एवं अन्य गतिविधियों के कारण पानी की गुणवत्ता पर संभावित प्रभावों का अनुमान लगाना

2.4.1 पानी के नमूने स्थान

गोटे रोड पर चार सहाई पानी एवं चार पवित्र पानी के नमूनों का आईएस : 2296 एवं 10500 के अनुसार पेव गल के लिए निर्धारित मानकों के साथ तुलना करने के लिए विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण हेतु एकत्रित किए गए । नमूने स्थानों का विवरण तालिका-6 में दिया गया है ।

तालिका-6
पानी के नमूने स्थानों का विवरण

स्थान का संकेत	स्थान	दूर(कि.मी.)	दिशा
		सहाई पानी	
एसएफ्यू1	डंगू नाला	0.9	पश्चिम पूर्व
एसएफ्यू2	इसरोव नदी(बाहर इन्स्टेक पार्क)	3.5	पश्चिम उत्तर पश्चिम
एसएफ्यू3	केणारी नाला	2	पश्चिम उत्तर पश्चिम
एसएफ्यू4	रघुदास के पास इसरोव नदी	6	पश्चिम पश्चिम
		पवित्र पानी	
सीडएफ्यू1	अंगुलकर	2.2	पश्चिम
सीडएफ्यू2	रिसडी	4.0	पश्चिम पूर्व
सीडएफ्यू3	गारनापेट्टा	1.6	उत्तर उत्तर पूर्व
सीडएफ्यू4	रुमगडा	3.1	उत्तर पश्चिम

वाष्पों विद्युत स्रोतों को और धूमिल करने के अभाव को दूर किया जा सके। अतः धूमिल करने पर किसी भी प्रकार का प्रयास प्रस्तावित नहीं है। मानसून ऋतु के दौरान निम्नलिखित वाली चालों को बनाने के लिए आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार चालों की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव प्रस्तावित नहीं है।

3.1.5 टॉल अनलिमिटेड इन्फ्लेक्शन एवं धूमिल उपयोग

राज्य इन्फ्लेक्शन नियमों के अनुसार एवं सैक्टर/वर्गीय अर्थशास्त्रों की पूर्ति हेतु धूमिल चालों का निर्माण आवश्यकता अनुसार किया जायेगा। निर्माण-कार्यक्रम में राज्य के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। परियोजना प्रचालन प्रारंभ होने की तारीख से 9 वर्ष के अंदर राज्यों के 100% उपयोग को व्यवस्था इतिहास की जाएगी।

3.1.6 धूमिल पर्यावरण

धूमिल उपकरण करने वाले मुख्य स्रोत हैं -- कारखानों एवं टर्बोपावर के कारखानों। कारखानों से निकलने वाली धूमिल के प्रभाव को एकाधिक पर्यावरणों द्वारा कम किया जाएगा और धूमिल सतह को 15मीटर(50) तक सीमित किया जाएगा।

3.1.7 ग्रीन बेल्ट का विस्तार

आर्वाणीय परिसर में प्लांट क्षेत्र के आसपास 30 एकर क्षेत्र में 50-मी. की चौड़ाई के ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाएगा। प्रस्तावित ग्रीन बेल्ट में प्रति हेक्टेयर 2500 पेड़ों को 40 से कुल लगभग 30000 पेड़ लगाए जाएंगे। प्रति वर्ग 6000 पेड़ लगाए जाएंगे और 5 वर्षों के अंदर एक सुसज्जित ग्रीन बेल्ट को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रयोग के लिए 1 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट का आवंटन किया जाएगा।

3.1.8 सामाजिक व आर्थिक स्थिति

निर्माण भरण एवं स्मॉल्टर के प्रचालन के दौरान क्षेत्र के लिए प्रमुख सामाजिक प्रभाव से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूपों में बुझि होगी। प्रस्तावित परियोजना प्रारंभ होने के पश्चात् स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। इनके अंदर-बाहे के कार्य एवं संभव व्यापार संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा।

4.0 पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

4.1 अंतरिम

प्रस्तावित प्रकार प्लांट के क्षेत्र में सुविधा विकास को सुनिश्चित करने के लिए समुचित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईएमए) को आवश्यक है। अतः इसके लिए एक सीमावर्ती मूल्यांकन की आवश्यकता है जिस के लिए प्रस्तावित उद्योग, खरखर और क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन बोर्ड जैसे रेगुलैटिंग अधिकरण तथा विशेष कर अध्ययन क्षेत्र में प्रभावित लोगों से अग्रिम है कि वे अपना पूरा सहयोग एवं सहायता प्रदान करें।

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईएमए) का विकास अधिकृत प्रणाली को कम करने और परियोजना प्रकार के आसपास में पर्यावरण का समुचित संरक्षण के लिए किया जायेगा है। प्रस्तावित सुविधाओं के दोषों निर्माण एवं प्रचालन चरणों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तैयार किया गया है।

5.0 निर्माण चरण के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन

निर्माण चरण के दौरान निर्माण कार्य का सख्त सेवेनिंग, प्रेडिग एवं निर्माण चरणों के लिए अपेक्षित सामग्री का परिवहन आदि से आसपास के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा।

5.1.1 वायु गुणवत्ता प्रभाव

सख्त सेवेनिंग, प्रेडिग एवं चालों के दृष्टिकोण आदि कार्यों से पर्यावरण एवं प्रभाव, सखिता में बुझि होगी। इन प्रभावों को दूर करने के लिए निम्नलिखित नियंत्रण उपकरणों को सुनिश्चित की जाती है:

- निर्माण क्षेत्र में पानी का सिंचन
- मुख्य धूल सतहों का समय-समय पर
- चालों एवं निर्माण उपकरणों के समुचित रखरखाव, एवं

5.1.2 पानी की गुणवत्ता प्रबंधन

वाहन एवं निर्माण उपकरण अनुसंधान केंद्र से निष्काने वाले अपरिष्कृत पानी में तेल व ग्रीस सांद्रताएं होंगी। श्रमिक कॉलोनी से निष्काने वाले पानी में बीजोक्सी स्तर अधिक होंगे। इन प्रभावों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपचारों की सिफारिश की जाती है:

- निष्कानित पानी से तेल के अभाव हेतु सेडिमेंटेशन टैंक की व्यवस्था
- उपकरण अनुसंधान केंद्र में तेल व ग्रीस ड्रॉप
- श्रमिक कॉलोनी से निष्काने वाले मूल पानी के उपचार हेतु सेडिमेंट टैंक, एवं
- ड्रॉप बेल्ट के विकास में अपरिष्कृत पानी का उपयोग

5.1.3 ध्वनि स्तर प्रबंधन

निर्माण उपकरणों के प्रचालन एवं वाहनों के ट्राफिक से ध्वनि स्तर में वृद्धि होगी। इसके निवारणोपाय निम्नवत हैं:

- वाहनों एवं निर्माण उपकरणों का ठीक रखरखाव
- निर्माण गतिविधियों को दिन के समय तक ही सीमित रखना
- ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए एंटी वाईंडशील्ड के अलावा ध्वनारोपण, एवं
- कर्मचारियों को इयरप्लग एवं इयरप्लग की व्यवस्था

5.1.4 धरिचित्रीय प्रबंधन

निर्माण के दौरान, प्लांट परिसर में पेड़-पौधों को सफा करने की आवश्यकता है। धरिचित्रीय पर प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपेक्षित हैं:

- पेड़ों के गिरने को बर्तन-मजदूरों से बचाना
- धरिचित्रीय नुकसान को ट्रांसप्लान्टेशन करके और इन्हें ग्रीन बेल्ट के लिए फलाने गड क्षेत्र में उपयोग करना, एवं
- प्रति हेक्टेयर 2500 पेड़ों की संख्या से ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाएगा

5.2 प्रचालन चरण के दौरान पर्यावरणीय प्रबंध योजना

प्रचालन चरण के दौरान प्रस्तावित विभिन्न पर्यावरणीय प्रबंधनों को समुचित प्रयुक्त निबंधन उपकरणों का उपयोग करते हुए कम किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के लिए संचालन की गई पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र में प्रदूषण को कम करना।

5.2.1 वायु गुणवत्ता प्रबंधन

प्लांट प्लांट से ध्वनिक एवं धूँक उत्सर्जन से पर्यावरण, प्रदूषण, एवं स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। इन प्रभावों को दूर करने के लिए निम्नलिखित निवारण उपचारों की सिफारिश की जाती है:

- दसवीं वर्ष तक 75 मि.ग्र./घन एम तक सीमित करने के लिए 99.9% दक्षता के इंधनगत प्रणाली
- ग्रीन उत्सर्जनों के निष्कृत निष्पन्न के लिए 275 मि.सी. टैंक की व्यवस्था
- एनसी. उत्सर्जनों को कम करने के लिए इन्हें एनसी. बर्नर की व्यवस्था
- कन्वेयर सिस्टम के अंतर्गत किचनों पर उच्च एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी
- पूरा उपकरण इंधन को नियंत्रित करने के लिए बंधु कन्वेयर बेल्ट का उपयोग किया जाएगा
- सामग्री निष्पन्न एवं स्टोरेज चार्ज में पानी किचनम जगहों की व्यवस्था
- कीचलकर्म के जरिए राख का परिचालन किया जाएगा
- प्लांट क्षेत्र के अंदर सड़कों का आधुनिकरण
- ध्वनिक उत्सर्जनों को रोकने के लिए प्लांट के अलावा में ग्रीनबेल्ट का विकास करना

5.2.2 मूल प्रदूषण का प्रबंधन

प्लांट प्लांट में प्रदूषण टालने से अपरिष्कृत पानी उत्पन्न होगा। इसके अलावा कैंटीन एवं क्वार्टरों के सफा-सफाई क्षेत्र से भी अपरिष्कृत पानी उत्पन्न होगा। इन प्रभावों को कम करने एवं स्वच्छ पानी के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की जाती है:

- क्लीनिंग टैंक से उत्पन्न पानी का पुरा उपयोग देना इसे वास्तु निष्पन्न एवं निष्पन्न के लिए जो पुरा: उपकरणों में लागू

- ऑनकोट के विकास हेतु बरेल्य अपशिष्ट प्लांट का उपचार कर उसका पुनः उपयोग
- किसी भी प्रकार के दूषित नमल को बुर करने हेतु भूगर्भ में डंपिंग को रोकने के लिए गाँस पाँड का उचित ढंग से लाइनिंग करना

करना

- वर्षा ऋतु के दौरान बहने वाले पानी को एकत्रित एवं संभर करने के लिए अलग से एक स्टोर्म वाटर सिस्टम की व्यवस्था करना और इसमें उपचारित पानी को स्वच्छ पानी की आवश्यकता को कम करने की प्रक्रिया में उपयोग में लाना
- वर्षा की पानी के संरक्षण हेतु समुचित बंधा का निर्माण

5.2.3 ध्वनि प्रदूषण प्रबंधन

प्रक्रिया के दौरान विभिन्न उपकरण यथा पंप, कूटिंग टावर, कम्प्रेसर आदि से ध्वनि उत्पन्न होगी। उच्च ध्वनि स्तरों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित नियंत्रणोपाय की सिफारिश की जाती है:

- रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा निर्दिष्ट ध्वनि स्तरों के अनुरूप समुचित उपकरणों की व्यवस्था
- पंप आदि ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों में एकाधिक एन्क्लोचर्स की व्यवस्था
- ध्वनि स्तरों को निम्नित करने के लिए गेटे ग्रीन बेल्ट का विकास, एवं
- उच्च ध्वनि स्तर के क्षेत्रों में कार्यगारों को प्ररक्षण की व्यवस्था

5.2.4 खोस अपशिष्ट प्रबंधन

वायर क्रांट से उत्पन्न होने वाला मुख्य खोस अपशिष्ट है- राख (गले बाल एवं बॉटम बाल)। कुल 8160 टीपीसी राख उत्पन्न होगा। इसमें से बाटन राख कुल उत्पन्न राख का 20% अर्थात् 1620 टीपीसी एवं रोच 6540 टीपीसी को राख होगी।

उत्पत्ती राख को नियंत्रण, 1999 के अनुसार, क्रांट से उत्पन्न राख का बाणको द्वारा क्रांट प्रारंभ होने से नौ वर्षों के अंदर 100% उपभोग करने के लिए इररंजमेंट प्रवास किया जाएगा। उक्त अपशिष्ट आदि के निपटान के कारण प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की जाती है :

- उच्च क्षतिग्रस्त गहरा(सुरती) निपटान प्रणाली का उपयोग करते हुए राख का निपटान किया जाएगा
- सेमीब ड्रिटमेंट क्रांट(सुरतीपी) में उत्पन्न खोस अपशिष्ट के पैथिक भाग का ग्रीन बेल्ट के विकास में ध्यान के रूप में उपभोग किया जाएगा
- खोस अपशिष्ट निर्माण से संबंधित उचित डाटा का रखरखाव

6.8 आवास प्रबंधन एवं बीएचपी

अपेक्षित मामलों के भाग के रूप में प्रमुख कोषिक एवं संबद्ध प्रभावों का आकलन किया जा चुका है।

7.8 उपसंहार

विस्तृत विवरण, निर्माण योजना, निर्माण एवं प्रचलन के दौरान पर्यावरणीय प्रबंध योजना के इभाबी कन्सल्टन्स से पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित करते हुए परियोजना का विकास किया जा सकता है। इस्ताब्लिश करण के कारण प्रभावित प्रभावों को प्रकल्पक ढंग से कम करने के लिए समुचित एवं निर्दिष्ट पर्यावरणीय प्रबंध प्रणालियों को अपनाया जाएगा।

अतः आवास के पर्यावरण पर पर्यावरणीय प्रभाव बहुत कम होंगे और इस्ताब्लिश परियोजना से क्षेत्र में गणनीय आर्थिक लाभ उत्पन्न होंगे।